#### <u>न्यायालय-श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,</u> <u>जिला बैत्तल, (म.प्र.)</u>

<u>एम.जी.सी.</u> कमांक :- 04 / 16 <u>संस्थापन दिनांक :- 18 / 07 / 16</u> <u>फायलिंग नं. 4005582016</u>

श्रीमती मीना जौजे प्रकाश उम्र 25 वर्ष जाति पवार निवासी हा. मु. ग्राम खापा तहसील आमला, जिला बैतूल

.....आवेदिका

#### वि रू द्ध

प्रकाश पिता श्यामलाल चौव्हान उम्र 34 वर्ष जाति पवार निवासी ग्राम मासोद, तहसील मुलताई जिला बैतूल,

..... <u>अनावेदक</u>

## <u>-: (आ दे श) :-</u>

# (आज दिनांक-26.04.2017 को घोषित)

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका मीना का विवाह अनावेदक से हिंदु रीति रिवाज से दिनांक 30.06.2012 को आमला में संपन्न हुआ था। आवेदिका को दामप्त्य जीवन से कोई संतान नहीं हुई थी। अनावेदक आवेदिका को बिना किसी बात से मानसिक रुप से प्रताडित करता था और गाली गलौच कर मारपीट करता था तथा दहेज में एक लाख नगद रु. हीरोहोंडा मोटर सायकल, रंगीन टीवी की मांग करता था। विवाह के लगभग 6 माह बाद आवेदिका को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब से आवेदिका अपने मायके ग्राम खापा में निवास कर रही है। अनावेदक ने आज तक उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था की और ना ही कभी उसे लेने के लिए आया। अनावेदक के पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, जिससे उसे सालाना 5 लाख रु. की आय होती है तथा अनावेदक दूध का व्यवसाय करता है और पान का ठेला भी चलाता हैं इस प्रकार अनावेदक को प्रतिमाह लगभग 30 से 40 हजार रु की आय हो जाती है। अतः आवेदिका को प्रतिमाह 15000 रु. भरण पोषण की राशि दिलवाई जाए।
- 3. प्रकरण में अनावेदक को आवेदन के जवाब हेतु कई अवसर प्रदाय किए गए परंतु अनावेदक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 03.11.2016 को अनावेदक के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

- 4. आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:--
  - 1. क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है ?
  - 2. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं ?
  - 3. क्या आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है ?
  - 4. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
  - 5. क्या अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है ?
  - 6. क्या आवेदिका भरण पोषण पाने के पात्र हैं ? यदि हॉ तो किस मासिक दर से और किस दिनांक से ?

# <u>—ः विचारणीय बिन्दु कमांक—1 :—</u>

5. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "1" के संबंध में आवेदिका मीना (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि उसका विवाह अनावेदक प्रकाश के साथ दिनांक 30.06.2012 को आमला में संपन्न हुआ था। आवेदिका के दाम्पत्य जीवन से कोई संतान नहीं है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखिण्डत रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

# <u>—ः विचारणीय बिन्दु कमांक—2 :—</u>

6. विचारणीय बिन्दु क्रमांक ''' के संबंध में मीना (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि उसका विवाह अनावेदक प्रकाश के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उसे दहेज की बात पर से उसे ताने मारे जाते थें। अनावेदक उससे मारपीट कर उसे माता—पिता के घर पहुचा देते थे। दहेज में नगद रुपय, टीवी मोटर सायकल की मांग करते थे। शादी के एक वर्ष तक वह ससुराल आना—जाना करती थी। वर्ष 2015 में उसे अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने मायके लाकर छोड दिया और साथ रखने से उसे मना कर दिया। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं।

## <u>-: विचारणीय बिन्दू कमांक-3 :-</u>

7. विचारणीय बिन्दु क्रमांक ''3'' के संबंध में मीना (अ.सा.—1) यह प्रकट किया है कि उसके विवाह के पहले ही उसके माता—पिता का स्वर्गवास हो गया था, उसका विवाह उसके मामा ने किया था। वर्तमान में वह अपने छोटे भाई के साथ ग्राम खापा

में निवास कर रही है तथा उसके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। उसका छोटा भाई मजदूरी करता है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है।

## <u>-: विचारणीय बिन्दू कमांक-4 :-</u>

विचारणीय बिन्दु क्रमांक ''4' के संबंध में आवेदिका मीना (अ.सा.–1) का कहना है कि अनावेदक के पास 5 एकड़ सिंचित भूमि है, जिससे सालाना 10 लाख रु की आय होती है तथा अनावेदक पान का ठेला एवं दूध का भी व्यवसाय करता है। इस प्रकार अनावेदक को प्रतिमाह 40 से 50 हजार रु की आय हो जाती है। परंतु आवेदिका द्वारा अनावेदक की प्रतिमाह 40 से 50 हजार की मासिक आय होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ना ही अनावेदक के नाम पर अचल संपत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तृत की गई है। अतः मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनावेदक को 40 से 50 हजार रूपये की मासिक आय होने का निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्याय दृष्टांत दुर्गा सिंह वि. प्रेमबाई 1990 सी.आर.एल.जे. 2065 में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति योग्य शरीर वाला है और कमाने की स्थिति में है तो उसे भरण पोषण के मामले में पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जाता है। कोई व्यक्ति यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक लगभग 34 वर्षीय हष्टपृष्ट व्यक्ति है, उसके गंभीर शारीरिक अयोग्यता, विकलांग होने अथवा अन्यथा अस्वस्थ, होने के संबंध में अभिलेख पर कोई प्रमाण नही है, इसीलिए यह उपधारणा की जा सकती है कि अनावेदक शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर की मजदूरी अर्जित करता है एवं आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

#### <u>-: विचारणीय बिन्दू कमांक-5 :-</u>

9. विचारणीय बिन्दु कमांक "5" के संबंध में मीना (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन कथनों में यह प्रकट किया है कि वर्ष 2015 से वह मायके में है, तब से अनावेदक ने उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की तथा आवेदिका ने कई बार ससुराल जाने की पहल की परंतु अनावेदक ने साथ ले जाने से मना कर दिया। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है।

# <u>—ः विचारणीय बिन्दु कमांक—6 :—</u>

10. उपरोक्तानुसार साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं। आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है एवं उसके द्वारा आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की गई है। अतः न्यायालय के मत में आवेदिका भरण पोषण पाने की पात्र हैं। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत हस्तगत आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश किया जाता है:—

क. हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से अनावेदक, आवेदिका को भरण पोषण हेतु रूपये 1,500 / — (एक हजार पॉच सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से भरण पोषण की राशि अदा करेगां।

ख. उक्त भरण पोषण की राशि प्रतिमाह की पांचवीं तारीख तक अदा की जावेगी।

11. इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)